रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 186] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 1970/कार्तिक 26, 1892
No. 186] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 1970/KARTIKA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICES

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th November 1970

SUBJECT.—*Import policy for the year April, 1970-March, 1971.*

No. 165-ITC (PN)/70.—Attention of importers is invited to the import policy as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book-Vol. I) for the period April 1970-March 1971.

2. The following amendments shall be made at appropriate places in Volume I of the Red Book for the period April 1970-March 1971.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
288-289	Section V, Appendix 24, Paragraph 3-I (A), Acid dyes.	The following acid dyes may be deemed to have been included at appropriate places:—
		Hue No. C.I. No.
		(1) Acid yellow 99 13900
		(2) Acid Blue 225 ..
		(3) Acid Blue 226 ..
		(4) Acid Blue 272 ..
290	Section V, Appendix 24, Paragraph 3, Direct dyes.	(1) *For* the existing No. I, *Read* 'II'.
		(2) The following direct dye may be deemed to have been added at S. No. 5:—
		Hue No. C.I.No.
		5. Direct Yellow 39 ..
290	Section V, Appendix 24, Paragraph 3, Basic dyes.	(1) *For* the existing No. II, *Read* 'III'.
		(2) The following item may be deemed to have been added at S. No. 7:—
		Hue No. C.I. No.
		7. Acriflavine J. 46000
290	Section V, Appendix 24, Paragraph 3, Mordant dyes.	(1) *For* the existing No. III, *Read* 'IV'.
		(2) The following dye may be deemed to have been included at the appropriate place:—
		Hue No. C.I. No.
		Mordant Brown 1 20110
291	Section V, Appendix 24, Paragraph 3-V, Azoic coupling Components	The following Azoic coupling components may be deemed to have been included at the appropriate places:—
		Hue No. C.I. No.
		(1) Azoic coupling component . . 11 37535
		(2) Azoic coupling component . . 19 37545
291-293	Section V, Appendix 24, Paragraph 3-VII, Vat dyes.	The following vat dyes may be deemed to have been included at the appropriate places:—
		Hue No. C.I. No.
		(1) Vat green 14 58830
		(2) Solubilised vat green (or equivalent products of other manufacturers) . . 21 59051
		(3) Vat Blue 52 ..

Page No. Reference of the Red Book (Vol. I)		Details of amendments
295	Section V, Appendix 24, Paragraph 3—XII.	The existing provision may be deemed to have been substituted by the following:—

"Import of the undermentioned dyes will be allowed on a restricted basis under the policy for registered exporters for an aggregate value upto 20% of the face value of the licence or Rs. 500/- whichever is more :—

Name of the dye	Hue No.	C.I. No.
1. Vat Brown	1	70800
2. Vat Brown	3	69015
3. Vat Brown	5	73410
4. Vat Brown 2G	..	..
5. Vat Brown NG	..	..
6. Solubilised Vat Blue	6	69826
7. Vat Black	16	59855
8. Vat Black	27	69000
9. Vat Black	29	65225
10. Vat Green	3	69500
11. Vat Yellow	2	67300
12. Vat Violet	1	60010
13. Vat Violet	3	73395
14. Solubilised Vat Red	1	73361
15. Vat Orange	3	59300
16. Direct Yellow	9	19540
17. Direct Blue	106	51300
18. Azoic coupling component	2	37505
19. Azoic coupling component	5	37610
20. Azoic coupling component	13	37595
21. Azoic coupling component	15	37600
22. Azoic coupling component	16	..
23. Azoic coupling component	36	37585
24. Azoic Diazo component	20	37175
25. Acramine Red FRC 26. Acramine Violet FFR 27. Acramine Orange F5G 28. Acramine Turquoise FBN 29. Acramine Brown FBR	or equivalent products of other manufacturers.	

299	Section V, Appendix 24, Para 5—Spirit Soluble dyestuffs.	The items shown in the Annexure to this Public Notice may be deemed to have been added to the existing list of permissible spirit soluble colour dyestuffs.

Page No. of the Red Book (Vol. I)	Reference	Details of amendments
303	Section V, Appendix 24, List III, Item No. 36—N. W. Acid.	The import of this item will be allowed upto 10% of the face value of the licence instead of 5% of the face value of the licence as provided in Public Notice No. 55-ITC (PN)/70 dated 13-4-70.
303	Section V, Appendix 24, List III.	The following item may be deemed to have been inserted at the appropriate place :— "Beta Naphthol" Import of this item will be allowed upto 20% of the face value of the licence.
341-342	Section V, Appendix 29, Item No. 50.	The items shown in the Annexure to this Public Notice may be deemed to have been added to the existing list of permissible spirit soluble colour dyestuffs.

ANNEXURE

Sl. No.	Name of Dyestuff	Colour Index No.	
1	Yellow GRL	CI Solvent Yellow 19	C.I. No. 13900A
2	Yellow RLS/RLSN	" " " 63	
3	Yellow 2RLS	" " " 62	
4	Orange RLS	" " Orange 41	
5	Scarlet RLS	" " Red 92	
6	Fire Red GLS	" " Red 89	
7	Fire Red 3GLS	Not indexed.	
8	Red BL	CI Solvent Red 90	
9	Red 3BLS	" " " 91	
10	Red 4BLS	" " " 85	
11	Blue B	" " Blue 10	
12	Blue GLS	" " " 44—Organic salt of 7413	
13	Blue 3GLS	" " " 38	
14	Blue RS]	" " " 45	
15	Green B	" " Green 19	
16	Green 2GLS	Not indexed.	
17	Brown GLS	CI Solvent Brown 28	
18	Black BN	" " Black 6	

विदेश व्यापार मन्त्रालय

सार्वजनिक सूचनाएं

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1970

विषय.—अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 वर्ष के लिए आयात नीति

सं० 165-आई०टी०सी० (पी०एन०)/70.—आयातकों का ध्यान अप्रैल, 1970 से मार्च 1971 की अवधि, आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रैड बुक वालुम-1) में निहित आयात नीति की ओर आकृष्ट किया जाता है ।

2. निम्नलिखित संशोधन अप्रैल, 1970—मार्च, 1971 की अवधि के लिए रैड बुक के वालुम 1 में उपयुक्त स्थानों पर किए जाएंगे :—

रैड बुक (वालुम-1) की पृष्ठ सं०	संदर्भ	संशोधनों का ब्यौरा
1	2	3
288–289	खंड 5, परिशिष्ट 24 कंडिका 3–1(ए), अम्ल रंग	निम्नलिखित अम्ल रंगों को उपयुक्त स्थानों में शामिल किया गया समझा जाए :—
		रंग सं० सी०आई०सं०
		(1) अम्ल पीला . 99 13900
		(2) „ नीला . . 255 ..
		(3) „ . . 226 ..
		(4) „ . 272 ..
290	खण्ड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3, स्पष्ट रंग	(1) वर्तमान संख्या 1 के लिए '2' पढ़ें । (2) निम्नलिखित स्पष्ट रंग को क्रम सं० 5 पर जोड़ा गया समझा जाए :—
		रंग सं० सी०आई० सं०
		(5) स्पष्ट पीला 39 ..
290	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3, मूल रंग	(1) वर्तमान संख्या 2 के लिए '3' पढ़ें । (2) निम्नलिखित मद क्रम सं० 7 पर

1	2	3
		जोड़ी गई समझी जाए :—
		रंग सं० सी०आई०सं०
		(7) एक्रिफलेविन जे .. 46000
290	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3, रंग बंधक रंग	(1) वर्तमान सं० 3 के लिए '4' पढ़ें। (2) निम्नलिखित रंग उपयुक्त स्थान पर शामिल किया गया समझा जाए :—
		रंग सं० सी०आई० सं०
		रंगबंधक भूरा 1 20110
291	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3–5	निम्नलिखित प्राग्जैविक योजक उपादान उपयुक्त स्थानों पर शामिल किए गए समझे जाएं :—
		रंग सं० सी०आई०सं०
		(1) प्राग्जैविक योजक उपादान 11 37535
		(2) वही . . 19 37545
291–293	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3–7, वैट रंग	निम्नलिखित वैट रंग उपयुक्त स्थानों पर शामिल किए गए समझे जाए :—
		रंग सं० सी०आई०सं०
		(1) वैट हरा . . 14 58830
		(2) विलैयू वैट हरा . 21 59051
		(अथवा अन्य उत्पादनों के समकक्ष उत्पादें)
		(3) वैट नीला . 52 ..
295	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 3–12	वर्तमान व्यवस्था निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की गयी है, समझी जाए :—
		"पंजीकृत निर्यातकों के लिए नीति के अंतर्गत लाईसेंस के अंकित मूल्य के कुल मूल्य के 20 प्रतिशत तक के लिए अथवा 500 रुपये तक जो भी अधिक हो, निम्नलिखित

1	2	3

रंगों के आयात की स्वीकृति प्रतिबंधित आधार पर दी जाएगी :—

	रंग का नाम	रंग सं०	सी०आई०स०
(1)	वैट भूरा .	1	70800
(2)	„ .	3	69015
(3)	„ .	5	73510
(4)	„ 2 जी .	..	..
(5)	„ एन जी .	..	..
(6)	विलेयी वैट नीला .	6	69826
(7)	वैट काला .	16	59855
(8)	„ .	27	69000
(9)	„ .	29	65225
(10)	वैट हरा .	3	69500
(11)	वैट पीला .	2	67300
(12)	वैट बैंगनी .	1	60010
(13)	„ .	3	73395
(14)	विलेयी वैट लाल .	1	73361
(15)	वैट केसरी .	3	59300
(16)	स्पष्ट पीत .	9	19540
(17)	स्पष्ट नीला .	106	51300
(18)	प्रागजैविक योजक उपादान .	2	37505
(19)	„ .	5	37610
(20)	„ .	13	37595
(21)	„ .	15	37600
(22)	„ .	16	..
(23)	„ .	36	37585
(24)	प्रागजैविक दुयाजो उपादान .	20	37175

1	2	3
		रंग का नाम रंग सं० सी०आई०सं०
		(25) एक्रेमाइन लाल एफ आर सी (26) एक्रेमाइन बैंगनी एफ एफ आर (27) एक्रेमाइन केसरी एफ 5 जी (28) एक्रेमाइन फिरोजा एफ बी एन (29) एक्रेमाइन भूरा एफ बी आर — अथवा अन्य उत्पादनों के समकक्ष उत्पादें
299	खंड 5, परिशिष्ट 24, कंडिका 5, स्पिरिट विलेयक रंग सामग्री	वर्तमान स्वीकृत स्पिरिट विलेयक रंग सामग्री की सूची में प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना के अनुबंध में प्रदर्शित मदों को जोड़ा गया समझा जाए ।
303	खंड 5, परिशिष्ट 24, सूची–3, मद सं० 36 एन० डब्ल्यू० अम्ल ।	इस मद के आयात की स्वीकृति, सार्वजनिक सूचना 55–आई टी सी (पी एन)/70 दिनांक 13-4-1970 में दी गई व्यवस्था के अनुसार लाइसेंस के अंकित मूल्य के 5 प्रतिशत तक के बजाए 10 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी ।
303	खंड 5, परिशिष्ट 24, सूची 3	निम्नलिखित मद उपयुक्त स्थान पर जोड़ी गई समझी जाए :— "बीटा–नैप्थोल" इस मद की स्वीकृति लाइसेंस के अंकित मूल के 20 प्रतिशत तक के लिए दी जाएगी ।
341–342	खंड 5, परिशिष्ट 29, मद सं० 5,	वर्तमान स्वीकृत स्पिरिट विलेयक रंग सामग्री की सूची में प्रस्तुत सार्वजनिक सूचना' के अनुबंध में प्रदर्शित मदों को जोड़ा गया समझा जाए ।

अनुबंध

क्रम सं0	रंग-सामग्री का नाम	रंग सूचक सं0
1.	पीत जी आर एल	सी आई विलायक पीत 19 सी आई सं0 13900 ए0
2.	पीत आर एल एम/आर एल एस एन	—वही— 63
3.	पीत 2 आर एल एस	—वही— 62
4.	केसरी आर एल एस	—वही— केसरी 41
5.	सिंदूरी आर एल एस	—वही— लाल 92
6.	अग्नि लाल जी एल एस	—वही— लाल 89
7.	अग्नि लाल 3 जी एल एम	सूची बद्ध नहीं है
8.	लाल बी एन	सी आई विलायक लाल 90
9.	लाल 3 बी एल एस	—वही— 91
10.	लाल 4 बी एल एम	—वही— 85
11.	नीला बी	सी आई विलायक नीला 10
12.	नीला जी एन एस	सी आई विलायक नीला 44—74180 का कार्बनिक
13.	नीला 3 जी एल एस	—वही— नीला 38 नमक
14.	नीला आर एस	वही वही 45
15.	हरा बी	वही हरा 45
16.	हरा 2 जी एल एम	सूचीबद्ध नहीं है
17.	भूरा जी एल एस	सी आई विलायक भूरा 28
18.	काला बी एन	वही काला 6

SUBJECT.—*Import of tractors by agriculturists as gift.*

(**No. 166-ITC(PN)/70**—Attention is invited to the erstwhile Ministry of Commerce Public Notice No. 224-ITC(PN)/68 dated 24-10-1968 as amended by Public Notices No. 89-ITC(PN)/69 dated 6-6-1969, No. 116-ITC(PN)/69 dated 10-7-1969. No. 198-ITC(PN)/69 dated 18-12-1969 and No. 38-ITC(PN)/70 dated 27-2-1970 regarding the import of tractors by agriculturists as gift.

2. The position has been reviewed and it has been decided to extend the last date for submission of applications for Customs Clearance Permits from the 31st October, 1970 to 31st October, 1971. Applications received after the 31st October, 1971 will not be entertained.

3. It has also been decid to issue Customs Clearance Permits in cases where the donor is the son-in-law/grand father/brother-in-law (wife's/husband's other) and the donee is father-in-law/grand daughter/brother-in-law (sister's husband) /brother's wife and vice versa.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विषय —खेतीहरों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात

सं० 166/-आई०टी०सी० (ी०एन०)/70.—खेतीहरों द्वारा उपहार के रूप में ट्रैक्टरों का आयात किए जाने से संबंधित पूर्व कालीन वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 234—आई टी सी (पी एन)/68 दिनांक 24-10-1968 जो सार्वजनिक सूचना संख्या 89—आई टी सी (पी एन) 69, दिनांक 6-6-1969, संख्या 116—आई टी सी (पी एन) 69, दिनांक 10-7-1969, संख्या 198—आई टी सी (पी एन)।69, दिनांक 18-12-69 और संख्या 38 आई टी सी (पी एन)/70, दिनांक 27-2-1970 द्वारा संशोधित की गई है, उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2. स्थिति की पुनरीक्षा की गई है और सीमा-शुल्क निकासी अनुमति-पत्र के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि 31 अक्तूबर, 1970 से बढ़ाकर 31 अक्तूबर, 1971 करने का निश्चय किया गया है ।

3. उन मामलों, जहां दाता दामाद/दादा/साला (पत्नी का भाई/पति का भाई) है और लेने वाला सुपर/पौत्र-नाती/पौत्री-नातिनी/बहनोई (बहन का पति) / भाई की पत्नी और इसके विपरीत है, को उनको भी सीमाशुल्क निकासी अनुमति-पत्र जारी करने का निश्चय किया गया है ।

(आर० जे० खैलो),
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970